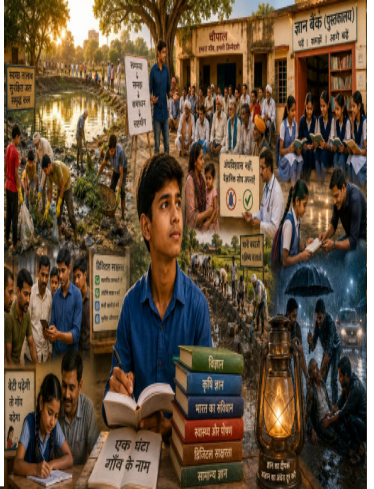




कार्यक्रम में पहले और बाद की परिस्थितियों को देखते हुए संस्था पर कथित पर्यावरणीय क्षति की सीधी जिम्मेदारी तय करने का पर्याप्त आधार नहीं था।

DDA को लौटाने होंगे 5 करोड़ रुपये

सुप्रीम कोर्ट ने DDA को निर्देश दिया है कि व्यक्ति विकास केन्द्र इंडिया द्वारा जमा किए गए 5 करोड़ रुपये चार सप्ताह के भीतर वापस किए जाएं। अदालत ने साथ ही स्पष्ट किया कि यमुना के बाढ़ क्षेत्र के व्यापक पुनर्वास और संरक्षण की जिम्मेदारी उऊन की बनी रहेगी।

सक्रिय बाढ़ क्षेत्र में आयोजन पर सवाल बरकरार

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ी संस्था को मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है, लेकिन यमुना के सक्रिय बाढ़ क्षेत्र में इतने बड़े आयोजन की अनुमति दिए जाने का पर्यावरणीय प्रश्न अभी जगह महत्वपूर्ण बना हुआ है।

अदालत ने उऊन को बाढ़ क्षेत्र के पुनर्वास का काम जारी रखने का निर्देश दिया है। इस तरह फैसले का मुख्य प्रभाव संस्था पर लगाए गए दायित्व और 5 करोड़ रुपये की राशि की वापसी से जुड़ा है, जबकि यमुना प्लटडप्लेन के संरक्षण की जिम्मेदारी संबंधित प्राधिकरणों पर बनी हुई है।







बुद्धि का काम कर रहे हैं। उन्होंने चिकित्सा सेवाओं को मानवता और सामाजिक जिम्मेदारियों से जोड़ते हुए जैस्तरमंदों की सहायता को प्राथमिकता देने की बात कही।

ग्रामीणों ने सराहा सेवा कार्य

स्थानीय ग्रामीणों ने चिकित्सकों की इस पहल की सराहा की। उनका कहना है कि गाँवों और आसपास के क्षेत्रों में समय पर चिकित्सकीय सलाह तथा प्राथमिक सहसहायता उपलब्ध होने से जैस्तरमंद परिवारों को राहत मिलती है। ऐसे सेवा शिथिल स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने के साक्ष्य सामाजिक सहायिता को भी

जिलास्वस्थ प्रमाण्ड झा, सचक राष्ट्रीय अयक्ष डॉ. रंदिंद ठकुमर, डॉ. विकास कुमार, डॉ. रागिनी ठकुमर, डॉ. अमित ठकुमर, डॉ. पल्लवी ठकुमरी और धुव ठकुमर सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

ग्रामीण चिकित्सकों की यह पहल चिकित्सा सेवा के साथ सामाजिक सरोकार और जनभागीदारी का उदाहरण बनी। ऐसे आयोजनों से जैस्तरमंदों तक तत्काल सहायता पहुंचाने के साथ युवाओं और समाज के अन्य वर्गों को भी जनसेवा के लिए प्रेरित करने का संदेश मिलता है।



